कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल
माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

-Phon & Fax 07292&222250] Email – dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 19 / धार, दिनांक / / 2019

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
वन परिक्षेत्र माण्डव

विषय :– इन्दौर–दाहोद न्यू रैल्वे लाईन में प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में संयुक्त स्थल निरीक्षण बाबत्।

संदर्भ :– 01 मुख्य वन संरक्षक (क्षे) इन्दौर वृत्त इन्दौर का पत्र कमांक/माचि/19/2585 दिनांक 30.04.2019

–000–

उपरोक्त विषयान्तर्गत इन्दौर–दाहोद न्यू रैल्वे लाईन में प्रभावित होने वाली वन भूमि/राजस्व वन ग्राम भोन्डिया में संयुक्त स्थल निरीक्षण की अनुमति निर्धारित शर्तो पर प्रदान की गई है। छायाप्रति सेलग्न है। संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु आवेदक विभाग आपसे सम्पर्क स्थापित करते है तो प्रकरण में संयुक्त स्थल निरीक्षण की कार्यवाही वरिष्ठ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आप स्वयं करे एवं अपना विस्तृत प्रतिवेदन में निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुये उप वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।

1 आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं मानचित्र संलग्न है जिनका सत्यापन करे। प्रभावित वन भूमि की जानकारी निम्न प्रपत्र में मय 1:50000 स्केल (मेनेजमेन्ट मेप) के देवे। **(आवेदक एवं वन विभाग द्वारा)**

क्रं	योजना का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का विवरण (हे.) में				प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
			कक्ष कं.	लम्बाई (मी.में)	चौड़ाई(मी.में)	रकबा (हे.)	
1	2	3	5	6	7	8	9

2 प्रकरण में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र एवं इको सेन्सेटिव झोन प्रभावित हो रहा है या नहीं प्रतिवेदन मानचित्र के साथ प्रेषित करे। यदि उपरोक्तानुसार प्रभावित नहीं हो रहे है तो इनसे आवेदित क्षेत्र की दूरी स्पष्ट करे। **(वन विभाग द्वारा)**

3 प्रकरण में यदि वन अधिकार अधिनियम या वनक्षेत्र के पट्टेधारी प्रभावित हो रहे है तो तद्ानुसार विस्तृत जानकारी प्रकरण में संलग्न करे। पट्टेधारियों से एन.ओ.सी. प्राप्त करे। कक्षवार/रकबेवार सूची तैयार करे। **(आवेदक एवं वन विभाग द्वारा)**

4 ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहर या अन्य महत्वपूर्ण स्मारक प्रभावित नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र।**(वन विभाग द्वारा)**

5 क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाती की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है या नहीं ब्यौरा देवे। **(वन विभाग द्वारा)**

6 प्रस्तावित ऐजेंसी द्वारा वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। जांचे गये 03 विकल्पों मानचित्र के साथ विस्तृत जानकारी देवे। **(आवेदक एवं वन विभाग द्वारा)**

7 वनभूमि में बिना अनुमति के कोई कार्य किया गया है या नहीं जानकारी देवे। **(वन विभाग द्वारा)**

8 परिक्षेत्र अन्तर्गत विगत वन्यप्राणी गणना में पाए गए वन्यप्राणियों के नाम और संख्या प्रकरण में संलग्न करे। **(वन विभाग द्वारा)**

9 लाईन को वन मानचित्र 1:50000 स्केल (एकजाई मानचित्र) पर अंकित करे, एवं अपने हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित अंकित करे। **(आवेदक एवं वन विभाग द्वारा)**

10 प्रकरण में वृक्षो का गणना पत्रक निम्न प्रपत्र में तैयार करे। **(आवेदक एवं वन विभाग द्वारा)**

क.	कक्ष कमांक	वृक्ष का वैज्ञानिक नाम	वृक्ष का स्थानीय नाम	गर्थ(गोलाई से.मी. में)						
				31–60	61–90	91–120	121–150	151–180	181 से उपर	योग

11 प्रकरण में संयुक्त सर्वे की कार्यवाही डिजीटल रूप से की जावें। डिजीटल सर्वे की के.एम.एल. फाईल पेन ड्राईव में उपलब्ध करावे एवं गूगल मेप,सर्वे आफ इण्डिया का मेप एवं वन मानचित्र डीजीटल रूप से तैयार कर प्रेषित करे।

12 व्यपवर्तन हेमु प्रस्तावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध करावे। उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि का संयुक्त सर्वे की कार्यवाही डिजीटल रूप से की जावें। डिजीटल सर्वे की के.एम.एल. फाईल पेन ड्राईव में उपलब्ध करावे। सर्वे आफ इण्डिया के मेंप पर दर्शित करे एवं आवश्यक प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त कर प्रेषित करे। **(आवेदक विभाग द्वारा)**

13 प्रकरण में वन भूमि के अतिरिक्त राजस्व वन भूमि प्रभावित होना प्रस्तावित है तो तदानुसार राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र जानकारी सहित प्रेषित करे। **(आवेदक विभाग द्वारा)**

14 प्रकरण में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट अनुसूचित जन जातीय कार्य विभाग धार से प्राप्त करे।**(आवेदक विभाग द्वारा)**

15 प्रकरण में डी.पी.आर. की प्रतियां वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं इस कार्यालय को प्रेषित करे।**(आवेदक विभाग द्वारा)**

16 प्रकरण में उद्देश्यवार विवरण प्रभावित वन भूमि के संबंध में देवे।**(आवेदक विभाग द्वारा)**

अतः प्रकरण में अपना विस्तृत प्रतिवेदन एवं अनुशंसा मय संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामें के उप वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रेषित करे। उपरोक्तानुसार बिन्दुओं को आवश्यक रूप से अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित करे। आवेदक से संबंधित जानकारी/अभिलेख को भी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.) वन मण्डल, धार

पृ. कमांक/माचि./19/2453   धार, दिनांक 13/05/2019

<u>प्रतिलिपि</u> :– (1) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) द्वितीय इन्दौर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आई संयुक्त सर्वे की अनुमति उपरोक्त सन्दर्भित पत्र कमांक 01 से मुख्य वन संरक्षक (क्षे) इन्दौर वृत्त इन्दौर द्वारा निर्धारित शर्तो पर प्रदान की गई है। निर्धारित शर्तो के अनुसार संयुक्त सर्वे हेतु उप वनमंडलाधिकारी,/वन परिक्षेत्र अधिकारी से संपर्क स्थापित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित करे। प्रकरण में यदि वन भूमि/राजस्व वन आवश्यक है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदन आन लाईन प्रेषित किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार आपसे संबंधित जानकारी/अभिलेख प्रकरण में संलग्न करे। प्रकरण में रेल्वे लाईन का मौका स्थल पर सीमांकन करे एवं खडे वृक्षों के मार्किंग का कार्य करावे। लाईन सर्वे आफ इंडिया के मानचित्र पर दर्शित कर ग्रामवार रकबे की जानकारी 05–05 प्रतियों में मूल हस्ताक्षर कर प्रेषित करें।प्रकरण 05–05 प्रतियों में मूल अभिलेख एवं मूल मानचित्र तथा मूल हस्ताक्षर के प्रेषित करे।

(2) उप वनमंडलाधिकारी, धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप भी मौका स्थल का संयुक्त निरीक्षण करे एवं प्रकरण अपनी अनुशंसा सहित मय हस्ताक्षर के इस कार्यालय को प्रेषित करे।

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.) वन मण्डल, धार